सॅख्या 1694/78–2–2017–97आई0टी0/2017

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपकमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊ दिनॉक 18 जुलाई 2017

विषयः– ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 1067/78–2–2017–42आईटी/2017 दिनॉक 12 मई 2017 द्वारा उ0प्र0 के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एनआईसी के ई–प्रोक्योरमेण्ट/ ई–टेण्डरिंग प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुये सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate contract) हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली को बाध्यकारी कर दिया गया है।

2 उक्त शासनादेश के प्रस्तर–8 के अनुसार ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण कराया जाना निर्दिष्ट किया गया था। इस बारे में विभागों/उपक्रमों इत्यादि के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकों में तथा जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के अतिरिक्त, समय–समय पर, निम्नलिखित पत्रों के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं:–

1 पत्र सॅख्या 1107/78–2–2017–42आईटी/2017 दिनॉक 12 मई 2017
2 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का पत्र संख्या यूपीएलसीः ई–प्रोक्योरमेण्टः2017–18 दिनॉक 19 मई 2017
3 पत्र सॅख्या 1574/78–2–2017–42आईटी/2017 दिनॉक 4 जुलाई 2017
4 पत्र सॅख्या 1620/78–2–2017–42आईटी/2017 दिनॉक 7 जुलाई 2017
5 पत्र सॅख्या 1627/78–2–2017–42आईटी/2017 दिनॉक 13 जुलाई 2017

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

3 प्रकरण में अब दिनॉक 01 सितम्बर 2017 से सभी विभागों एवॅ उनके अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं/उपकमों आदि द्वारा आमंत्रित की जाने वाली समस्त निविदाओं को ई–टेण्डर प्रणाली से ही आमंत्रित किए जाने की बाध्यता होगी।

4 इस संबंध में उपर्युक्त शासनादेश एवं पत्रों की प्रतियॉ एवॅ ई–टेण्डरिंग प्रणाली पर एक पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभाग/ कार्यालय/संगठन इत्यादि में दिनॉक 01 सितम्बर 2017 से ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु अधिकारियों को आवश्यक कार्यकलाप जैसेकि हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की स्थापना, नोडल अधिकारी नामित् क़िया जाना, नोडल अधिकारी एवॅ कय समिति के सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर् तथा ई–टेण्डरिंग प्रणाली का प्रशिक्षण इत्यादि, स–समय सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यदि ई–टेण्डरिंग प्रणाली पर पुस्तिका की अतिरिक्त प्रतियों की आवश्यकता हो तो ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु नामित् नोड़ल एजेन्सी यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) से प्राप्त की जा सक़ती है।

5 इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है क़ि ई–टेण्डरिंग प्रणाली से सम्बन्धित किसी जानकारी/सहायता यथा डिजिटल् सिग्नेचर, ई–टेण्डरिंग प्रशिक्षण इत्यादि के लिए श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, 10–अशोक मार्ग, लखनऊ से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष:0522–2286809 अथवा मोबाइल् नम्बर 09235567201 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्याः1627/78-2-2016-42आईटी/2017टीसी.

प्रेषक

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 13 जुलाई 2017

विषयः- शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12-5-2017 द्वारा उ0प्र0 के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एनआईसी के ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुये सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली को बाध्यकारी कर दिया गया है। शासकीय विभागों इत्यादि में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु एनआईसी के पोर्टल (https://etender.up.nic.in) का उपयोग करते हुये यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी नामित है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण करायी जानी है। दिनांक 01-9-2017 से सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं/ उपक्रमों द्वारा आमंत्रित की जाने वाली समस्त निविदाओं को ई-टेण्डर प्रणाली से ही आमंत्रित किए जाने की बाध्यता होगी।

2. प्रदेश के मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से सभी मण्डलों/जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण दिया जाना है। अतएव प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण हेतु तीन माह के लिये एक-एक मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति की गयी है जिसके लिये आपको यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पृथक से अवगत कराया जा रहा है।

3. कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि दिनांक 13 जुलाई 2017 से 20 जुलाई 2017 के मध्य समस्त जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत, ई-टेण्डरिंग प्रणाली पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सभी विभागों की क्रय समितियों के सदस्यों के ई-टेण्डरिंग

प्रणाली हेतु डिजिटल सिग्नेचर भी उपलब्ध हो। ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जुलाई 2017 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये।

4. जिन विभागों की निविदायें तत्काल प्रकाशित की जानी हो, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही तत्काल पूर्ण करा ली जाये।

5. मण्डल के अन्दर आने वाले जनपदों के शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग लागू किये जाने की स्थिति से, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन एवं यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को संलग्न प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराया जाये।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

प्रारूप

मण्डल के अन्दर आने वाले जनपदों के शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग व्यवस्था पूर्णतः लागू किये जाने की स्थिति

मण्डल का नाम :–

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनपद–1	जनपद–2	जनपद–3	जनपद–4	जनपद–5
1	लोक निर्माण विभाग					
2	सिंचाई विभाग					
3	खाद्य एवं रसद विभाग					
4	ग्राम्य विकास विभाग					
5	परिवहन विभाग					
6	जल निगम					
7	ऊर्जा विभाग					
8	कृषि विभाग					
9	राजस्व विभाग					
10	ग्रामीण अभियन्त्रण					
11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
12	बेसिक शिक्षा					
13	माध्यमिक शिक्षा					
14	उच्च शिक्षा					
15	स्थानीय निकाय					
16	निर्वाचन विभाग					
17	पर्यावरण विभाग					
18	पुलिस विभाग					
19	समाज कल्याण					
20	मनोरंजन					
21	व्यापार कर					
22	दिव्यांग कल्याण					
23	आवास विकास					
24	विकास प्राधिकरण					
25	उद्योग विभाग					
26	श्रम विभाग					
27	कारागार					
28	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन					
29	जिलाधिकारी कार्यालय					
30	ग्राम्य अभियंत्रण विभाग / सेवायें					
31	अन्य विभाग (कृपया विभाग का नाम पृथक से अंकित किया जाये)					

नोटः ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने की स्थिति हाँ / नही में अंकित की जाये।

संख्या- 1620 /78-2-2016-42आईटी/2017टीसी

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 07 जुलाई, 2017

विषयः- शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उ0प्र0 में सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉबवर्क एवं सामाग्री के क्रय तथा चालू दर अनुबन्ध (रेट कान्ट्रेक्ट) हेतु एनआईसी द्वारा विकसित ई- प्रोक्योरमेन्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए समस्त शासकीय विभागो/ उपक्रमों इत्यादि में शासनादेश क्रमांक 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12-5-2017 द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया को बाध्यकारी कर दिया गया है। शासकीय विभागों इत्यादि में ई- प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु एनआईसी के पोर्टल (https://etender.up.nic.in) का उपयोग करते हुए यूपी इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

2- विभागो में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना एक वृहद प्रक्रिया हैं, जिसमे सभी विभागो से मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिये जाने का कार्य यूपीएलसी द्वारा किया जा रहा है एवं यूपीएलसी संस्था द्वारा 2000 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स/अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जा चुकी हैं एवं यह कार्य सतत प्रक्रिया में है। इस संबंध में कार्य की महत्ता एवं अधिकारियों की संख्या को देखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को मुख्यालय (लखनऊ) में प्रशिक्षण दिया जाना संभव प्रतीत नही होता है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यूपीएलसी संस्था द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों पर ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग से संबन्धित विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराये जायेगें, जिनके द्वारा मण्डल स्तर पर उस मण्डल के अन्दर आने वाले सभी जनपदो के अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान की जायेगी। मण्डलवार विषय विशेषज्ञों की सूची अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में मण्डल स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाहियां अपेक्षित हैं:-

I. मण्डल स्तरीय एक ई-टेण्डर सेल का गठन; ई-टेण्डर सेल हर जिले मे हुए टेण्डर को मॉनिटर करते हुए शासन के अपेक्षा के अनुसार यूपीएलसी से समन्वय स्थापित करते हुए सफलता पूर्वक टेण्डरिंग करेगा। मण्डल एवं जिले में टेण्डरिंग यूनिट चिन्हित करते हुए हर एक टेण्डरिंग यूनिट का नोडल ऑफिसर चिन्हित करना और upetender-monitor.com पर उक्त सूचना को अपलोड करना।
II. यूपीएलसी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना यथा प्रशिक्षण हेतु भवन, प्रोजेक्टर, माइक, कम्प्यूटर, इन्टरनेट इत्यादि की व्यवस्था किया जाना।
III. ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना तथा बैचवार प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु अधिकारियों को आमन्त्रित/निर्देशित किया

जाना। यहा यह उल्लेखनीय हैं कि केवल उन्ही अधिकारियो को ट्रेनिगं दिये जाने की आवश्यकता हैं, जो कि सीधे रूप से टेण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है। अतः टेण्डरिंग यूनिट को चिन्हित किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। यहा टेन्डरिंग युनिट से तात्पर्य टेण्डर कमेटी से है।

IV. जिन टेण्डरिंग यूनिट में अगले कुछ दिनो में टेण्डर होने वाले हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके नोडल ऑफिसर को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षित करना।

V. इस संबंध में प्रत्येक मण्डल में उक्त कार्य के सतत अनुश्रवण हेतु upetender-monitor.com नामक पोर्टल का भी विकास किया गया हैं। जिसमे प्रत्येक सप्ताह के अन्त में उक्त सप्ताह में प्रशिक्षण पाये अधिकारियों की सूचना अपलोड की जानी होगी। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी की होगी। उक्त पोर्टल के प्रयोग किये जाने हेतु आईडी एवं पासवर्ड अलग से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त ई-टेण्डरिंग संबन्धी प्रगति हेतु एक डैश बोर्ड भी समस्त मण्डलायुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त पोर्टल में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग से संबन्धित समस्त सेल्फ स्टडी मैटिरियल भी उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग ट्रेनिंग प्रोगाम के उपरान्त भी किया जा सकेगा।

VI. ई-टेण्डरिंग सेल के अन्य प्रमुख कार्यो में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के सफलापूर्वक लागू किये जाने में अधिकारियों की ट्रेनिंग के साथ-साथ प्रोस्पेक्टिव विडर्स को भी सेन्सेटाइज किये जाने पर भी बल दिया जाना होगा। इस संबंध में प्रोस्पेक्टिव विडर्स से प्राप्त समस्याओ/ सुझाओं के समाधान हेतु एक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

VII. मण्डलायुक्त अपने स्तर समीक्षा कर समस्त जिलाधिकारियो से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को अगले 15 दिनो में सम्पन्न कराते हुए साप्ताहिक (प्रत्येक शुक्रवार 5:00 बजे तक) रूप से रिपोर्टस पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1620 (1)/78-2-2016-42आईटी/2017 तददिनॉक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- प्रबध निदेशक, यूपीएलसी।
3- एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव

अर्द्ध शा.प.सं.-1574/78-2-2017-
उत्तर प्रदेश शासन
आई.टी. एवं इले0 अनुभाग-2
लखनऊः दिनॉक 30 जून, 2017

प्रिय महोदय,

प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपकमों/विकास प्राधिकरणों/ नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के कय तथा चालू दर एवँ दर अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली को बाध्यकारी कर दिया गया है।

2 समस्त विभागों/उपकमों इत्यादि को ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने एवं तैयारी हेतु शासनादेश दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा निर्धारित तीन माह का समयवधि के तत्पश्चात ई–टेण्डरिंग प्रणाली अपनाये जाने की अनिवार्यतः के दृष्टिगत दिनॉक 12 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ई–टेण्डर पोर्टल पर सकिय, नोडल अधिकारियों की सूची के अवलोकन से विदित होता है कि आपके विभाग अथवा अधीनस्थ संस्थाओं/उपकमों के स्तर पर अभी तक नोडल अधिकारी नामित नहीं हुए हैं।

3 ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभिन्न कार्यकलापों विभागों, उपकमों इत्यादि के स्तर पर सर्वप्रथम एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना वॉछनीय है। इसके अभाव में विभाग/संस्थाओं/उपकमों इत्यादि द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली को लागू किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

4 उपरोक्त के दृष्टिगत मुझसे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि अपने अधीनस्थ विभागों, सार्वजनिक उपकमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायों, संस्थाओं, संगठनों, कार्यालयों इत्यादि में नोडल अधिकारियों का नामॉकन तत्काल सुनिश्चित कराते हुए, सम्बन्धित अधिकारियों को, ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु अपेक्षित अन्य कार्यकलाप जैसेकि राज्य मुख्यालय/जनपद स्तर पर कय–समिति के न्यूनतम तीन तथा अधिकतम चार सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर प्राथमिकता के आधार पर बनवाये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सद्भावी

भवदीय,

(संजीव सरन)

श्री (नाम से)
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
अतिरिक्त ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपनण एवं निर्यात प्रोत्साहन, नियुक्ति एवं कार्मिक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण, नागरिक उड्डयन, समन्वय, संस्कृति, धर्मार्थ, मनोरंजन कर, परिवहन, आबकारी, बाह्य सहायतित परियोजना, मत्स्य, सामान्य प्रशासन, भू–गर्भ एवं जल संसाधन, दिव्यांगजन कल्याण, हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग, सूचना एवं जन सम्पर्क, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, जेल प्रशासन एवं कारागार, खादी एवं ग्रामोद्योग, श्रम, भूमि विकास एवं जल संसाधन, भाषा, चिकित्सा शिक्षा, अल्पसंख्याक कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, संसदीय कार्य, नियोजन, राजनैतिक पेंशन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रोटोकॉल, सार्वजनिक उद्यम, राजस्व, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना, ग्राम्य विकास, सैनिक कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सचिवालय प्रशासन, समग्र ग्राम्य विकास, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, समाज कल्याण, खेल, स्टाम्प एवं रजिट्रेशन, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 पुर्नगठन एवं समन्वय, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन (सूडा) विधायी, सतर्कता, युवा कल्याण विभाग
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

CIN - U72200UP1974SGC003880

यू पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
U.P. Electronics Corporation Limited

(A U P GOVT. UNDERTAKING)

Registered Office : 10, Ashok Marg, Lucknow-226001 Ph. 0522-2286808, 2286809, 2286816, 2288750, 4130301-25 Ext. 301 to 325, Fax : 0522-2288583
E-mail : md@uplc.in, uplclko@gmail.com Website : http://www.uplc.in //UP Electronics Corporation Limited @UpElectronicsCo

यूपीएलसी:ई–प्रोक्योरमेण्ट:2017–18 19 मई 2017

1 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3 समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विषय:ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत बिड्स प्रकाशित करने / खोलने वाले अधिकारियों की न्यूनतम संख्या के सम्बन्ध में

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं / जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवँ दर अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए समस्त शासकीय विभागों / उपक्रमों इत्यादि में शासनादेश क्रमॉक 1067 / 78–2– 2017–42आईटी / 2017 दिनॉक 12 मई 2017 द्वारा ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी गई है।

2 प्रदेश में ई–प्रोक्योरमेण्ट / ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेन्सी नामित है तथा निगम को एन.आई.सी. से निम्नवत् ई–मेल प्राप्त हुआ है :–

> While selecting bid openers, It is learnt that 2 of 2 option is still being used by few of the deptts. As Bid opening is a critical event and encryption cert, is reqd. to ensure opening of Bids from 15/Jul/2017, the option of 2 of 2 bid openings will be deactivated in this portal. You may ensure either 2 of 4 or at least 2 of 3 Bid Opener Option to be enforced by all users. Necessary guidelines or Office Memorandum, may please be issued and circulated to all TIAs within your orgn to ensure this.

3 उपरोक्तानुसार दिनॉक 15 जुलाई 2017 से क्रय–समिति के केवल 2 सदस्य अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर्स से ई–निविदाओं को ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म पर प्रकाशित और / अथवा खोले जाने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

4 ई–निविदाओं को ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म पर प्रकाशित किये जाने हेतु क्रय–समिति के अधिकतम 4 एवं न्यूनतम 3 सदस्य अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर्स की आवश्यकता होगी, जिनमें से 2 सदस्य अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर्स से

निविदाओं को खोला जाना सम्भव होगा। तद्नुरूप ई–प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in पर निविदा प्रकाशन से सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को उपरोक्तानुसार अधिकतम 4 एवं न्यूनतम 3 सदस्य अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाया जाना और निविदा प्रकाशन के समय "2 of 4" अथवा "2 of 3" विकल्प का चयन करना होगा।

5 उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1067/78–2– 2017–42आईटी/2017 दिनॉक 12 मई 2017 तथा ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभागों/उपक्रमों इत्यादि के स्तर पर अपेक्षित कार्यकलाप स–समय सुनिश्चित कराने विषयक अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र 1107/78–2–2017–42आईटी/2017 दिनॉक 12 मई 2017 की प्रतियॉ आपके अवलोकनार्थ पुनः संलग्न कर प्रेषित हैं।

6 इस सम्बन्ध में यदि कोई जिज्ञासा हो तो श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक, यूपीएलसी (दूरभाषः 0522–2286809, मोः 9235567201) अथवा श्री सौरभ गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. (दूरभाषः0522–2238415/2298824, मोः 9454028822) से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

7 अतएव अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि के अधिकारियों को उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र विक्रम)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिःअपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ प्रेषित

(सुरेन्द्र विक्रम)
प्रबन्ध निदेशक